संख्या 329 / XXIV–2 / 10–9(11) / 2008

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 08 अप्रैल, 2011

विषय– प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों / शासन द्वारा सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों / पूर्व माध्यमिक विद्यालयों / प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को अधिवर्षता आयु प्राप्त करने के उपरान्त शैक्षणिक सत्र के अन्त तक सत्रांत लाभ दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों / शासन द्वारा सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों / पूर्व माध्यमिक विद्यालयों / प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों / प्रधानाध्यापकों / प्रधानाचार्यों को अधिवर्षता आयु प्राप्त करने के उपरान्त शैक्षणिक सत्र के अन्त तक पुनर्नियुक्ति संबंधी शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या– 694 / XXIV–2 / 2007 दिनांक 30 नवम्बर, 2007 को अतिकमित करते हुए वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–2 भाग 2 से 4 के मूल नियम 56 (क) के अन्तर्गत प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों / शासन द्वारा सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों / पूर्व माध्यमिक विद्यालयों / प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों / प्रधानाध्यापकों / प्रधानाचार्यों के शैक्षिक सत्र में मध्य में सेवानिवृत्त होने से अध्यापन कार्य में व्यवधान हो जाने के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त वर्णित शैक्षिक संस्थाओं में कार्यरत ऐसे अध्यापक / प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य जो शिक्षा संत्र के मध्य में अधिवर्षता आयु पूर्ण कर रहें हों, को निम्नांकित शर्तों के आधार पर पूर्व की भांति सत्रांत लाभ दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

(1) सेवाकाल में संबंधित अध्यापक / प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य का कार्य एवं आचरण संतोषजनक रहा हो तथा कोई प्रतिकूल तथ्य न हो।
(2) शारीरिक एवं मानसिक तौर पर स्वस्थ्य हो।
(3) वह वास्तव में कोई विषय नियमित रूप से पढ़ाता हो।

3– उक्त के संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि किसी अध्यापक / प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य को स्वतः सत्रांत लाभ देय नहीं होगा, अपितु सत्र लाभ लिये जाने हेतु संबंधित कार्मिक द्वारा लिखित सूचना / आवेदन पत्र अपनी अधिवर्षता आयु की तिथि से 03 माह पूर्व सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा, तथा ऐसे अधिकारियों को जो अध्यापन का कार्य न कर रहे हो, उनकी सेवा के अन्तिम वर्ष में अध्यापन के कार्य में बिना किसी विशेष कारण के न लगाया जाय, जिससे उन्हें अनायास ही 31 मार्च तक सेवा में बने रहने का लाभ मिल जाये। शासन द्वारा यह

निर्णय लिया गया है कि शिक्षा विभाग में श्रेणी–2 से नीचें के पदों पर कार्यरत अध्यापक/प्रधानाध्यापक के सेवा विस्तरण के मामलों पर विचार एवं उपयुक्त निर्णय के लिए संबंधित पद के नियुक्ति अधिकारी सक्षम होंगे तथा शेष के संबंध में शासन की सहमति अपेक्षित होगी।

4– उक्त व्यवस्था वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2 के भाग 2 से 4 के मूल नियम 56(क) में संशोधन के विषय में व्यवस्था निर्गत करने की तिथि से ही लागू होगी।

5– इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से पूर्व ऐसे अध्यापक/प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य जिन्हें शैक्षिक सत्र 2010–11 के अन्त तक पुनर्नियुक्ति प्रदान की गयी है, वे पुनर्नियुक्ति संबंधी शासनादेश संख्या– 694/XXIV–2/2007 दिनांक 30 नवम्बर, 2007 से ही आच्छादित रहेंगे।

6– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या– 4674/XXXVII(7)/2010 दिनांक 06 अप्रैल, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(मनीषा पंवार)
सचिव।

संख्या– 329 (1)/XXIV–2/10/9(11)/2008 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3– निजी सचिव–मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड। द्वारा निदेशक, वि.शि.।
5– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड। द्वारा निदेशक, वि.शि.
7– अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौडी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
8– समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तरखण्ड। द्वारा निदेशक, वि.शि.।
9– प्रभारी, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
10– प्रभारी, मीडिया सेंटर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11– वित्त (वे0आ0–सा0वि0) अनुभाग–7 उत्तराखण्ड शासन।
12– शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक)/शिक्षा अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
13– गार्ड फाईल

आज्ञा से

(कवीन्द्र सिंह)
अनु सचिव